मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/परिपत्र/216/ 2612 भोपाल, दिनांक 10 /05/2023

प्रति

संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
आंचलिक कार्यालय - ______ (समस्त)

विषय - **CM Helpline Portal पर दर्ज कृषक भुगतान में अनियमितता विषयक शिकायतों की निराकरण कार्यवाही के संबंध में।**

CM Helpline Portal पर दर्ज हो रही मंडी संबंधी शिकायतों में से अधिकांश शिकायतें कृषक भुगतान में अनियमितता से संबंधित होती है। CM Helpline Portal का उद्देश्य ही है कि शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में होना चाहिए। लेकिन कृषक भुगतान में अनियमितता की कई शिकायत बहुत अधिक अवधि तक लंबित बनी रहती है और मंडी सचिवों के द्वारा ऐसी शिकायतों के Level-4 स्तर पर Force Close के अनुरोध के साथ बार-बार पत्राचार किया जाता रहता है।

2 CM Helpline Portal पर दर्ज शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित मंडी सचिव, Level-1 अधिकारी द्वारा निराकरण टीप दर्ज दर्ज की जाती है जिसके उपरांत भी शिकायतकर्ता के असंतुष्ट रहने पर नोडल मंडी सचिव, Level-2 अधिकारी द्वारा निराकरण टीप दर्ज की जाती है। इसके उपरांत भी शिकायतकर्ता के असंतुष्ट रहने पर शिकायत आपके अर्थात Level-3 अधिकारी के स्तर से निराकरण हेतु प्राप्त होती है।

3 आप संबंधित मंडी समितियों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी है। आपका कृषक भुगतान के संबंध में मंडी अधिनियम/ नियम/ उपविधि/ परिपत्रों के प्रावधान से अवगत होना भी अपेक्षित है। हाल ही में एक परिपत्र भी कृषक भुगतान प्रक्रिया के संबंध में जारी किया गया है। इसका भी अवलोकन आपके द्वारा कर लिया गया होगा।

4 **अतः आपसे अपेक्षित है कि कृषक भुगतान में अनियमितता संबंधी शिकायतों (जिनसे कृषि उपज मंडियों की छवि भी धूमिल होती है।) में मंडी अधिनियम/ नियम/ उपविधि/ परिपत्र आदि के प्रावधान अनुसार कृषक को विक्रय मूल्य के भुगतान की पुष्टि, ब्याज राशि के भुगतान की पुष्टि, संबंधित क्रेता व्यापारी के विरुद्ध कार्यवाही की स्थिति एवं अन्य अनुषंगी पक्षों पर समग्र विचार करते हुए ही आपके अर्थात Level-3 स्तर से निराकरण टीप दर्ज की जाएं।**

5 उपरोक्त कार्यवाही आपके स्तर से सुगमता से संपन्न की जा सकती है क्योंकि आपके अधीनस्थ मंडियों की संख्या भी सीमित है जिनमें ऐसी अनियमितता की शिकायतें भी सीमित संख्या में होती है। (मुख्यालय पर अर्थात Level-4 स्तर पर इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाती है।) इसके साथ ही आपके स्तर से अधीनस्थ मंडी के संबंधित दस्तावेजों का परीक्षण भी आसानी से संभव है।

6 इस प्रकार आपसे अपेक्षित है कि कृषक भुगतान में अनियमितता के प्रकरणों का सही निराकरण सुनिश्चित कराएं जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सकें।

7 यदि आपको यह प्रतीत हो कि शिकायत का पूर्ण निराकरण हो चुका है और फिर भी शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं हो रहा है तो ऐसी शिकायतों के संबंध में पूरी तरह आश्वस्त होते हुए Force Close की कार्यवाही भी की जा सकती हैं। इसके संबंध में आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति आपके स्तर से सुनिश्चित की जाना होगा। यदि इस संबंध में किसी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो मुख्यालय की समन्वय शाखा में CM Helpline Portal के प्रभारी अधिकारी से संपर्क किया जाएं।

8 अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएं। आपके द्वारा दर्ज निराकरण के उपरांत शिकायत मुख्यालय पर अर्थात Level-4 स्तर पर प्राप्त होती है और आपके और अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा दर्ज निराकरण टीप में पूर्ण रूप से निराकरण का अभाव ज्ञात होता है तो आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकेगी।

<u>(प्रबंध संचालक के अनुमोदन से जारी)</u>

10/04/23

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/परिपत्र/216/ 2613 भोपाल, दिनांक 10 /04/2023

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर संचालक / संयुक्त संचालक (समस्त) मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय-भोपाल।
2. उप संचालक (समन्वय), मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय - भोपाल। ऐसी शिकायतें जिनमें अधीनस्थ स्तरों (Level-1, Level-2, Level-3) से निराकरण दर्ज नहीं हुआ तो पहले उक्त निराकरण दर्ज कराएं तदुपरांत नियमन शाखा में आवश्यक परीक्षण हेतु प्रकरण प्रेषित किए जाएं।
3. चीफ़ प्रोग्रामर, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय-भोपाल। वेबसाइट पर अपलोड किया जाएं।
4. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति ______ जिला ______ (मध्यप्रदेश) (समस्त)। CM Helpline शिकायतों, विशेषकर कृषक भुगतान में अनियमितता संबंधी शिकायतों को Force Close करने के संबंध में अनावश्यक पत्राचार नहीं किया जाएं।
5. गार्ड फाइल/ परिपत्र फाइल।

10/04/23

संयुक्त संचालक (नियमन)
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल